

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

संख्या : 5/2349/204-5/

/2016 लखनऊ

दिनांक: 28 मार्च, 2016

**विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बायोइन्जर्जी मिशन मॉडल संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अन्तर्गत अन्य कार्यों के साथ-साथ प्रदेश में बायो इन्जर्जी मिशन, नियोजन विभाग, उ०प्र० के द्वारा विकसित मॉडल बायोगैस इकाईयों ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निर्देश शासनादेश सं० 1621/33-3-2015-154/2014 टीसी दिनांक: 29 जून, 2015 द्वारा दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी निर्देशों क्रमशः 5/2349/204-5/65/2016 दिनांक 9 अक्टूबर 2016, 5/2167/204-5/2014 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा 5/2085/204-5/2014 दिनांक 03 सितम्बर, 2015 पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। इसी क्रम में निर्देश है कि "बायो इन्जर्जी मिशन माडल" बायो गैस इकाई की स्थापना हेतु "जिला स्वच्छता समिति" स्वतः निर्णय कर ले। इस विषय पर आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक "उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ०प्र०, कक्ष सं० 534, पॉचवा तल, योजना भवन, लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं। इस माडल को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 में Best Practices in Rural Sanitation कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। मंत्रालय का सम्बन्धित प्रकाशन "Pathway to success: compendium of Best Practices in Rural Sanitation" में "कचरा लाओ बायो गैस ले जाओ" शीर्षक से प्रकाशित भी किया है। यह प्रकाशन मंत्रालय की वेब साइट: [www.ddws.nic.in](http://www.ddws.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों में ठोस जैव अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्धन कर सम्बन्धित ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने एवं प्रकाश हेतु ग्रीन इन्जर्जी उपलब्ध कराने एवं आर्गेनिक खेती हेतु उपयुक्त उच्च गुणवत्ता बायो स्लरी उत्पादन करने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूर्व में जारी मानकों के अनुरूप प्रभावी एवं समयवद्ध रूप से क्रियान्वित करने का कष्ट करें।

भवदीय



(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक।

संख्या: 5/2349/1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।



2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, आई०डब्लू०एम०पी० सिचाई विभाग, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ०प्र०, कक्ष सं० 534, पॉचवा तल, योजना भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं०), उ०प्र०

Am  
26.3.16  
(उदयवीर सिंह यादव)  
निदेशक।

१८

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सनस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

संख्या : 5/2349/204-5/65/2014 लखनऊ दिनांक: 07 अक्टूबर, 2015

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत टोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बायो इनर्जी मिशन मॉडल संयंत्र लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत टोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अन्तर्गत अन्य कार्यों के साथ-साथ प्रदेश में बायो इनर्जी मिशन, नियोजन विभाग, उ0प्र0 के द्वारा विकसित मॉडल बायोगैस इकाईयों ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निदेश शासनादेश संख्या 1621/33-3 -2015-154/2014 टीसी दिनांक 29 जून, 2015 द्वारा दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में निदेशालय से निर्देश क्रमशः सं0 5/2085/204-5/2014 दिनांक 3 सितम्बर, 2015 तथा संख्या 5/2167/204-5/2014 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

इस दौरान यह अनुभव किया गया है कि यदि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में "जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति/ जिला स्वच्छता समिति" में उक्त परियोजनाओं की तकनीकी चर्चा अवश्य कर ली जाय। लाभार्थियों के चयन हेतु बायो इनर्जी मिशन सेल तथा यूनिसेफ द्वारा पूर्व में प्रशिक्षित युवाओं/जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति में नामित अग्रणी किसान/सहायक विकास अधिकारी(पं0)/ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाये। इस प्रकार जनपद में आसानी से अधिक से अधिक लाभार्थियों का चयन सम्भव हो सकेगा तथा राष्ट्रीय महत्व की जैव ऊर्जा परियोजना, जो प्रत्यक्ष रूप से पंचायतों में स्वच्छता एवं मानव स्वास्थ्य तथा आर्गेनिक खेती से सीधे जुड़ी हुयी है, का क्रियान्वयन आसान हो जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त क्रियान्वयन की सूचना निदेशालय के साथ-साथ राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0, कक्ष सं0-534, पॉचवां तल, योजना भवन, लखनऊ को सीधे प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि राज्य स्तरीय स्टेट स्कीम सैंक्सनिंग कमेटी से इसके प्रस्ताव पर प्रभावी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जा सके।


(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक।

संख्या: 5/2349/1/2015 तद्विनोक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेंन्सी, आईडब्ल्यूएमपी, सिचाई विभाग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र०।
- 7- संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक (पी०), उ०प्र०।



(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

संख्या: 5/247/204 -5/ /2014

लखनऊ दिनांक: 18 सितम्बर, 2015

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बायो इनर्जी मिशन माडल संयंत्र लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अन्तर्गत अन्य कार्यों के साथ साथ प्रदेश में बायो इनर्जी मिशन, नियोजन विभाग, उ०प्र० के द्वारा विकसित माडल बायोगैस इकाइयां ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निदेश शासनादेश संख्या 1621/33-3-2015-154/2014 टीसी दिनांक 29 जून 2015 द्वारा दिये जा चुके हैं।


उक्त के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रकार के लौह निर्मित सांचे की आवश्यकता होती है। लौह निर्मित सांचे के निर्माण हेतु निदेशालय स्तर पर फर्मों का इम्पेनलमेंट किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है। आप अपने जनपद के निकटवर्ती फेब्रीकेटर से सांचे का क्रय कर सकते हैं, ताकि परिवहन लागत न्यूनतम हो। सांचे की अनुमानित लागत रु० 2.89 लाख और वाइब्रेटर की लागत रु० 0.28 लाख है। सम्बंधित उत्पादों पर शासनादेश संख्या KANI-2-1834/XI-9(205)/2014-UP Act-5-2008-order-(126)-2014 दिनांक 29 दिसम्बर 2014 द्वारा बायो फ्यूल तथा बायो फ्यूल मशीनरी पर आगामी 10 वर्ष तक वैट में शत प्रतिशत छूट की सुविधा प्रदान की गयी है। व्यक्तिगत इकाई की अनुमानित लागत (खाना पकाने हेतु बायोगैस ईंधन) रु० 0.53 लाख तथा परिवार साइज इकाई की अनुमानित लागत (खाना पकाने हेतु बायोगैस ईंधन तथा घरेलू स्तर के विद्युत उत्पादन हेतु) रु० 1.238 लाख है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि यदि लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत घर में एक डायजेस्टर निर्मित कराया जाता है तो रु० 0.40 लाख तथा दो डायजेस्टर निर्मित कराये जाने की स्थिति में रु० 0.60 लाख की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन मद से किया जायेगा। सामुदायिक इकाइयों का निर्माण नियमानुसार कराया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बंधित फर्म से सम्पर्क कर सांचा क्रय करा कर बायो इनर्जी मिशन माडल इकाइयां अधिष्ठापित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

 18.8.15

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक

संख्या:5/ /1/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1-प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।

2-प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

3-समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

4-राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र०।

5-संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक(प०), उ०प्र०।

(उदयवीर सिंह यादव)  
निदेशक

बायो इनर्जी मिशन माडल संयंत्र लगाने हेतु सांचा (मोड) तैयार करने हेतु फर्मों की सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम	मोबाइल नम्बर/ ई मेल
1	निदेशक, श्री दुर्गा, इन्जिनियरिंग, वर्क प्रा0 लि0, 16-सी, पोखरपुर, लालबंगला, कानपुर, 208010	9235504050
2	प्रोप्राइटर, स्मृति फॅब्रिकेटर, 123/64, गडरियनपुरवा, कानपुर नगर	9839089558
3	सलेसर, एग्राटेंट प्रा0 लि0, प्लेट न0 19 एवं 20, प्रौतन कानप्लेक्स, ओल्ड भंडारा रोड, सुदर्शन स्ववायर, जनपद नागपुर,	9623478000
4	कृष्ण गोपाल, कविता कॉस्ट्रक्शन, ग्राम सीना पो0/तहसील-मायाना जिला मेरठ।	9927624992
5	शिव शरण भटिया, एम0एस0 इंडस्ट्रीज, शेड न0-3 प्लाट न0-670, ग्राम बीबीपुर, पो0-बन्धरा, कानपुर रोड जिला लखनऊ।	9839933747
6	सी.ई.सी. आन पोलिटेक सिस्टम, प्राइवेट लि0, 5, कामता, नियर सुरेन्द्रनगर गेट, फँजाबाद रोड, लखनऊ	9415002252 9415002253
7	मौ शारदा विकास सेवा संस्थान, ग्राम पटहुआँ, पो0 सेवटा, जनपद आजमगढ़	9451672531 8423900797
8	प्रशान्त तिवारी मैनेजर, विश्वा ट्रेडर्स, 74/2016, धनकुटी, जनपद कानपुर	9839033628 7408444466
9	वरुण खरे, ए.एम.वी.वी. इन्टरप्राइजेज 114/42, तकिया घर्मी शाह नया गांव(वेस्ट) अमीनाबाद, जिला लखनऊ	9532997997
10	गोपाल अग्रवाल, प्रोप्राइटर न्यू इन्दिरा स्टील्स, 25-ए, तालकटोरा रोड, जिला लखनऊ	9335926114 9044748811
11	जयदीप भारगवा, विद्या इन्जिनियरिंग, वर्क, 501 ग्यान गंगा एपट्स, 179, फँजाबाद रोड जनपद लखनऊ।	9415021905 8005497373
12	लाल बहादुर, विश्वकर्मा स्टील एण्ड विलडिंग वर्कस, ग्राम मोहनपुर पहाड़ी पो0 मोहनपुर भावरखा, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर पिन-231001	8115539161 9450320314
13	दिलीप कुमार सिंह, शिखा इन्जिनियरिंग वर्क शाप, (बायोगँस प्लान) बाड़ापुर, पो0 कछवा बाजार, वि0ख0-मझववाँ तहसील-सदर, मिर्जापुर।	7786918100
14	मौ0 आरिफ, आजाद नगर, कौंच, जनपद जालौन	9415925496
15	डी0के0 एण्ड कम्पनी, राजेन्द्र नगर उरई, जनपद जालौन	9415187843
16	देवदत्त जन कल्याण संस्थान, ग्राम/पो0 सठियाँव, जिला आजमगढ़	9453990837
17	महेन्द्र कुमार, राज इन्टरप्राइजेज, पाठक विल्डिंग, ज्ञानपुर भदोही	9935794040
18	डा0 एत0 शंखर, सोसाइटी फार द एडवांस आफ इन्वायरोनमेंटल साइंस, 222 चन्द्र लोक कालीनी, अलीगंज लखनऊ	9839070348
19	अमरनाथ शर्मा, साकेत महिला समाजोत्थान शिल्प एवं ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम भरथरी, पो0 समेदा, त0 सदर, आजमगढ़	9415836438

*dm*  
02.8.11  
(उदयवीर सिंह यादव)  
निदेशक,



प्रेषक,  
निदेशक,  
पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 5/2005/204 -5/ /2014

लखनऊ दिनांक: 3 सितम्बर, 2015

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बायो इनर्जी मिशन माडल संयंत्र लगाने हेतु सांचा (नोड) क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अन्तर्गत प्रदेश में बायो इनर्जी मिशन माडल इकाइयां ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या 1621/33-3-2015-154/2014 टीसी दिनांक 29 जून 2015 द्वारा दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रकार के लौह निर्मित सांचे की आवश्यकता होती है। लौह निर्मित सांचे के निर्माण हेतु निदेशालय स्तर पर फर्मों का इम्पेनलमेंट किया गया है। जिसकी सूची संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बंधित फर्म से सम्पर्क कर सांचा क्रय करा कर बायो इनर्जी मिशन माडल इकाइयां अधिष्ठापित कराने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

*Uan* 02.9.15  
(उदयवीर सिंह यादव)  
निदेशक,

संख्या: 5/2005/1/2014 तददिनांक।


प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1-प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3-राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र०।
- 4-संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक(प०), उ०प्र०।
- 5-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

(उदयवीर सिंह यादव)  
निदेशक,

बायो इनर्जी मिशन माडल संयंत्र लगाने हेतु सांचा (मोल्ड) तैयार करने हेतु फर्मों की सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम	मोबाइल नम्बर/ ई मेल
1	निदेशक, श्री दुर्गा, इन्जिनियरिंग, वर्क प्रा0 लि0, 18-सी, पोखरपुर, लालबंगला, कानपुर, 208010	9235604060
2	प्रोप्राइटर, स्मृति फॅब्रिकेटर, 123/64, गडरियनपुरवा, कानपुर नगर	9839089558
3	सलेसर, एग्रीटेट प्रा0 लि0, फ्लेट न0 19 एवं 20, प्रीतम कानप्लेक्स, ओल्ड भंडारा रोड, सुदर्शन स्ववायर, जनपद नागपुर,	9823478000
4	कृष्ण गोपाल, कविता कांस्ट्रक्शन, ग्राम सीना पो0/तहसील-मावाना जिला मेरठ।	9927624992
5	शिव शरण भटिया, एन0एस0 इंडस्ट्रीज, रोड न0-3 प्लॉट न0-670, ग्राम बीबीपुर, पो0-बन्धरा, कानपुर रोड जिला लखनऊ।	9839933747
6	सी.ई.सी. आन पौलीटेक सिस्टम, प्राइवेट लि0, 5, कामता, नियर सुरेन्द्रनगर गेट, फौजाबाद रोड, लखनऊ	9415002252 9415002253
7	मौ शारदा विकास सेवा संस्थान, ग्राम पटहुआँ, पो0 सेवटा, जनपद आजमगढ़	9451672531 8423900797
8	प्रशान्त तिवारी मैनेजर, विश्वा ट्रेडर्स, 74/2015, धनकुटी, जनपद कानपुर	9839033628 7408444488
9	वरुण खरे, ए.एन.वी.वी. इन्टरप्राइजेज 114/42, तकिया घसी शाह नया गांव(वेस्ट) अमीनावाद, जिला लखनऊ	9532997997
10	गोपाल अग्रवाल, प्रोप्राइटर न्यू इन्दिरा स्टील्स, 25-ए, तालकटोरा रोड, जिला लखनऊ	9335926114 9044748811
11	जयदीप भारगवा, विद्या इन्जिनियरिंग, वर्क, 501 ग्यान गंगा एपट्स, 179, फौजाबाद रोड जनपद लखनऊ।	9415021905 8005497373
12	लाल बहादुर, विश्वकर्मा स्टील एण्ड विल्डिंग वर्क्स, ग्राम मोहनपुर पहाड़ी पो0 मोहनपुर भावरखा, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर पिन-231001	8115539161 9450320314
13	दिलीप कुमार सिंह, शिखा इन्जिनियरिंग वर्क शाप, (वायोगैस प्लान) बाड़ापुर, पो0 कछवा बाजार, वि0ख0-मझवर्वा तहसील-सदर, मिर्जापुर।	7786918100
14	मौ0 आरिफ, आजाद नगर, कौच, जनपद जालौन	9415925496
15	डी0के0 एण्ड कम्पनी, राजेन्द्र नगर उरई, जनपद जालौन	9415187843
16	देवदत्त जन कल्याण संस्थान, ग्राम/पो0 सठियाँव, जिला आजमगढ़	9453990837
17	महेन्द्र कुमार, राज इन्टरप्राइजेज, पाठक विल्डिंग, ज्ञानपुर भदोही	9935794040
18	डा0 एल0 शेखर, सोसाइटी फार द एडवांस आफ इन्वायरोनमेंटल साइंस, 222 चन्द्र लोक कालोनी, अलीगंज लखनऊ	98390703461
19	अमरनाथ शर्मा, साकेत महिला समाजोत्थान शिल्प एवं ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम भरथरी, पो0 समेदा, त्त0 सदर, आजमगढ़	9415836438

  
 02.8.15  
 (उदयवीर सिंह यादव)  
 निदेशक,

प्रेषक,

निदेशक,  
पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

सनस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 5/15/2/2015-5/ /20 तखनक्र: दिनांक: 26 जुलाई, 2015

विषय: लोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रदूषण के अन्तर्गत बायो-गैस संयंत्र स्थापित किये जाने के सन्बन्ध में।

गहोदर,

समर्पित विषय की ओर आमका ध्यान आकृष्ट करते हुए अमगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत लोस एवं तरल अपशिष्ट प्रदूषण की कार्ययोजना जिसका स्वच्छता समिति से अनुमोदनोपबन्ध निदेशालय को प्रेषित की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के अनुसार दोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रदूषण के अन्तर्गत सोरक्षा गड्डा, खाद गड्डा, बायो-गैस संयंत्र आदि का निर्माण कराया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 05 व्यक्तिगत बायो-गैस संयंत्र लगाने का प्रयत्न किया जाए। सामाजिक कार्य करने समय ध्यान दिया जाये कि उसके पास कम से कम दो जगह अवसर हो।

अतः आमको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 05 व्यक्तिगत बायो-गैस संयंत्र लगाने हेतु सनस्त जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन कराकर निदेशालय को उपलब्ध कराये, जिससे मॉडल के तौर पर बायो-गैस संयंत्र लगाये जा सकें।

भवदीय

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या: 5/15/2/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सनस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति, उ०प्र०।
2. सनस्त मुख्य विकास अधिकारी/समाध्यक, जिला स्वच्छता समिति, उ०प्र०।
3. सनस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ०प्र०।
4. राज्य सन्बन्धक, बायो-गैस इनर्जी विभाग से।

210-124  
07/07/15

पंचायती राज  
2  
07/07/15

26.7

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

1621  
संख्या : / 35-3-2015-154 / 2014टीसी

प्रेषक,  
बंसल बानार सिवारी  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ

- (1) समस्त मण्डलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।  
  
(2) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून, 2015

विषय-ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन हेतु व्यवस्था/कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

1610-119  
30/6/15  
निष्पादन हेतु  
30/6/15

आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इस अभियान का एक प्रमुख घटक है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को परिवार की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता से अल्पकालीन ग्राम पंचायत के लिए परियोजना आधार पर शुरू किया जाना है ताकि सभी ग्राम पंचायतें रथायी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें। इस घटक के तहत कम्पोस्ट पिट, वर्मी कम्पोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र, कान लागत वाली निकासी, सीमेंट चैनल/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली, धरेलू कचरा को अलग-अलग करना तथा उसका निपटारा करना इत्यादि जैसे क्रियाकलाप शुरू किये जा सकते हैं। बायोगैस मिशन द्वारा गाँवों तथा बायोडिजेल प्लांटों के धरेलू गैस बनाने का संयंत्र विकसित किया गया है।

2. उपरोक्त संघर्ष में सुझे-यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुये पेट्रोलियम आधारित ईंधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाने तथा बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से निर्गत राज्य जीव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य जीव ऊर्जा नीति/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस पदार्थों के अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त निम्नानुसार व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित की जाये-

- (क) प्रदेश ने लागू कोष पदार्थों के अपशिष्ट प्रबंधन को योजनाबद्ध/चरणबद्ध रूप से अभियान के रूप में संचालित किया जाये। इस कार्य को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित दिवसीय सहायता से परियोजना आधार पर संचालित/क्रियान्वित किया जाये। इसके अन्तर्गत कन्वोस्ट किट, घनी कम्पोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र/सांघुदायिक बायोगैस संयंत्र, कचरा के निरंतरण/तत्समान क्रियाकलाप इत्यादि किये जायेंगे।
- (ख) उच्च प्रयोजनार्थ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को अन्तर्गत वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 76:25 के अनुपात में किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर सहायता का निर्धारण किया जाता है, जो 150 परिवार वाले ग्राम पंचायत के लिये अधिकतम 7.00 लाख रु० 150 से अधिक तथा 300 परिवार वाले ग्राम पंचायतों के लिये 12.00 लाख-रु०, 300 से अधिक तथा 500 से परिवारों तक की ग्राम पंचायतों के लिये 15.00 लाख रु० तथा 500 से अधिक परिवारों के लिये 20.00 लाख रु० की सहायता प्रदान की जाती है।
- (ग) ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार कर जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ को भेजी जायेगी, जिसका निदेशालय स्तर पर गठित स्टेट कोमिल स्कीम मैनेजिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
- (घ) प्रसन्नगत प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों में, जन सामान्य के स्तर पर उपलब्ध सस्तर प्रकार के रहने योग्य कचरे जैसे- गोबर, जानवरों का चारा चारा, खेत की निराई के उपरान्त घासफूस, सगन्ध फसलों के आसवन के उपरान्त प्राप्त अपशिष्ट, ग्रामीण हाट में उपलब्ध खराब तथा सड़ी सब्जी इत्यादि को स्थापित संयंत्र में प्रयोग करके/उपयोग कर करके गैर ईंधन का उत्पादन की अतिरिक्त रूप से किया जा सकेगा, जो न केवल जन सामान्य की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, अपितु रोजगारपरक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी है। यह संयंत्र बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र० तथा यूनिसेफ टाखनरु के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है।
- (च) उद्योगोत्पन्न निर्मित/स्थापित सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों/इकाईयों के संचालन हेतु स्थानीय स्वरोजगारोन्मुखी व्यक्तियों/लागार्थी सन्तुहों से इसकी प्रदान/संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। व्यक्तिगत बायोगैस इकाई की-स्थापना की स्थिति में उसका प्रबंधन सम्बंधित लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।
- (छ) पंचायत अपनी-अपनी स्वामित्व की रिक्त/खाली पड़ी भूमि पर बायोगैस संयंत्र से प्राप्त स्तरों का उपयोग कर अर्गेनिक खेती हेतु प्रयास करेगी/जनमानस में इसे बढ़ावा देगी/अभिप्रेरित करेगी।
- (ज) प्रत्येक स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि के लिए बायो इनर्जी मिशन सेल का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(क) उक्त संयंत्र/व्यवस्था से घरेलू उपयोग हेतु गैस इंधन के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद भी प्राप्त होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस गैस का उपयोग घरेलू/व्यावसायिक उपयोग तथा विद्युत उत्पादन हेतु भी किया जा सकता है। की०ड०एम०सी-पुनिसैफ नानक हरि नौडल की नि:शुल्क विस्तृत जानकारी श्री पी०एस० ओझा, राज्य समन्वयक, वायी इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र०, कक्ष संख्या-554, मौजवां तला, जवाहर भवन, लखनऊ, 226001 फोन/फैक्स- 0522-2266213, मोबाइल नं० : 09415304917, email: ps\_ojha@yahoo.com, Website: http://jetropha.up.nic.in अथवा निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, छँला तला, जवाहर भवन, लखनऊ, फोन - 0522-2266648, फैक्स- 0522-2266917, email: panchraj@nic.in, Web: panchayatraj.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सूचदीय

(चमल कुमार तिवारी)  
प्रमुख सचिव।

सं० : 1421 (1) 33-3-2015- तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- सटाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आणुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महाद्वरा को अपलोकरनाथ।
- 6- निदेशक, पंचायती राज, लेखा उ०प्र० लखनऊ।
- 7- निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०/उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक।
- 8- अपर आयुक्त, मनरेगा, उ०प्र०शासन।
- 9- राज्य समन्वयक, वायी इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, उ०प्र०।
- 11- समस्त जिला पंचायत-राज-अधिकारी, उ०प्र०।

जसदीय

(जसदीय सिंह)  
संयुक्त-सचिव।